प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 132/2025)

तत्काल प्रकाशन हेतु

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने "*भारत में डेटा इंटरचेंज केंद्रों, सामग्री वितरण नेटवर्क और इंटरकनेक्ट एक्सचेंजों की स्थापना के माध्यम से डेटा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु विनियामक ढांचा*" विषय पर भादूविप्रा की दिनांक 18.11.2022 की अनुशंसाओं के संबंध में दूरसंचार विभाग के दिनांक 29.08.2025 के बैक-रेफरेंस का उत्तर दिया।

नई दिल्ली, 17 नवंबर 2025- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज **"भारत में डेटा इंटरचेंज केंद्रों, सामग्री वितरण नेटवर्क और इंटरकनेक्ट एक्सचेंजों की स्थापना के माध्यम से डेटा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु विनियामक ढांचा"** विषय पर भादूविप्रा की दिनांक 18.11.2022 की अनुशंसाओं के संबंध में दूरसंचार विभाग के दिनांक 29.08.2025 के बैक-रेफरेंस का उत्तर दिया।

2. दूरसंचार विभाग ने दिनांक 29.08.2025 के बैक-रेफरेंस के माध्यम से ट्राई को सूचित किया कि दिनांक 18.11.2022 की समग्र सिफारिशों का हिस्सा बनने वाली **'डेटा नैतिकता और स्वामित्व'** से संबंधित सिफारिशें 6.39 और 6.40 पर सरकार द्वारा विचार किया गया है और उनमें व्यक्त दूरसंचार विभाग के विचारों के आलोक में भादूविप्रा द्वारा पुनर्विचार की आवश्यकता है।

3. भादूविप्रा की इन अनुशंसाओं के संबंध में दूरसंचार विभाग के विचारों की जांच करने के बाद, भादूविप्रा ने बैक-रेफरेंस पर अपनी प्रतिक्रिया को अंतिम रूप दे दिया है। बैक-रेफरेंस पर भादूविप्रा की प्रतिक्रिया को वेबसाइट (www.trai. gov. in) पर रखा गया है।

4. किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए श्री अब्दुल कैयूम, सलाहकार (ब्रॉडबैंड एवं पालिसी एनालिसिस), भादूविप्रा से टेलीफोन नंबर 91-11-20907757 पर संपर्क किया जा सकता है।

अतुल चौधरी 17/11/25

(अतुल कुमार चौधरी)
सचिव, भादूविप्रा